रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1967/श्रावण 25, 1889

[No. 116] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1967/SRAVANA 25, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August 1967

No. 37/1/II/67/T.—The following order by the President dated the 16th August, 1967, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

ZAKIR HUSAIN,

August 16, 1967. President."

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त 1967

संख्या 37/1/II/67/टी०—राष्ट्रपति का दिनांक 16 अगस्त, 1967 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक-सभा को सत्रावसान करता हूं ।

जाकिर हुसैन,

16 अगस्त, 1967 । राष्ट्रपति ।

श्यामलाल शकधर, सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967